न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. श्री रमेश यादव पुत्र केसाराम, जाति यादव, (मालिक)
   निवासी–गांव मुण्डगसोई तह. नावा जिला नागौर।
   फर्मः–श्री कृष्णा किसान दूध डेयरी, मेवलिया बड़ मकराना जिला नागौर।
2. श्री नानूराम जाट पुत्र देवाराम जाट जाति जाट (विक्रेता)
   निवासी–गांव गरवाड़ी पो. शिम्भूपुरा तह. नावा जिलाा नागौर।
   फर्मः–श्री कृष्णा किसान दूध डेयरी, मेवलिया बड़ मकराना जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः– 95/2019

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 31(2) व दण्डनीय धारा 51 व 58 "

उपस्थितिः–

1. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर।

–:निर्णय :–

दिनांकः– 12.03.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरूद यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 17.02.2019 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स श्री कृष्णा किसान दूध डेयरी, मेवलिया बड़ मकराना जिला नागौर में स्थित संस्थान पर पहुचा, मैनें अपना परियच दिया व परिचय लिया तथा अपना परिचय पत्र दिखाया। इस समय संस्थान पर नानूराम जाट पुत्र देवाराम जाट निवासी–गरवाड़ी पो. शिम्भूपुरा तह. नावा जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते दूध, दही आदि रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक श्री रमेश यादव पुत्र श्री केसाराम यादव, निवासी– मूण्डगसोई तह. नावा जिला नागौर को होना बताया। इस बाबत विक्रेता ने मालिक रमेश यादव के आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध करवाई। जिसकी प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने नही होना जाहिर किया। मौके पर विक्रेता ने बताया कि सालाना र्टन ऑवर 3–4 लाख का है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर) राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 40 लीटर दूध डीप फ्रीज के अन्दर रखी एक स्टील की कोठी में आमजन को विक्रय वास्ते भरा हुआ था। विक्रेता से पूछने पर उक्त दूध को भैंस का दूध होना बताया। मुझे इसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने मालिक एवं विक्रेता को प्रपत्र–5 ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह भैंस का दूध का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में डीप फ्रीज के अन्दर रखी स्टील की कोठी में भरे हुए लगभग 40 लीटर भैंस के दूध को आधा लीटर के माप से अच्छी तरह से हिला मिलाकर एकरूपकर 2 लीटर भैंस का दूध नपवाकर एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू 80/–(अक्षरे अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक Q–1099, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ भैंस का दूध के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक Q–.1099 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता नानूराम जाट एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना डिब्बों सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर श्री धनराज तेजी, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 18.02.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। एक नमूना बोतल मय फार्म न.6 की एक प्रति आउटर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री धनराज तेजी, स्वीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 18.02.2019 को देकर फार्म नं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तथा शेष दो सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं.6 की दो प्रतिया आउटर कवर में चमड़ी से सील बन्द, सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 18.02.2019 को मैंने स्वय ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं.6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमुहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 18.02.2019 जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

(4) कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा अभिहित अधिकारी नागौर को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 13.02.2019 से दिनांक 28.02.19 तक प्रयोगशाला में जमा कराये गये खाद्य नमूनों कि विश्लेषण रिर्पोट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(3) के तहत खाद्य नमूना प्राप्ति की दिनांक से 35 दिवस में प्रेषित की जावेगी। प्राप्त पत्र की प्रमाणित छायाप्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(5) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकः चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट /2019/143–44 दिनांक 10.04.2019 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या LS/143/Act/2019/197 दिनांक 15.03.2019 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया भैंस का दूध का नमूना सब्स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने फर्म–श्री कृष्णा किसान दूध डेयरी मेवलिया बड़ मकराना जिला नागौर को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांक :–चिकि/FSSA/2019/143–44 दिनांक 10.04.19 प्रेषित किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) नागौर द्वारा सूचना पत्रांक 143–44 दिनांक 10.04.2019 मय जांच रिपोर्ट की प्रति रजिस्टर्ड डाक से फर्म को भिजवाई गई थी, वह रजिस्टर्ड डाक लिफाफा मूल ही इस कार्यालय वापिस प्राप्त हुआ जिस पर प्राप्तकर्ता ने लेने से इन्कार है अतः वापिस "अंकित था, मूल ही लिफाफा न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(6) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड भैंस का दूध को बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्राप्त किये विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियम एवं विनियम 2011 की धारा क्रमशः 26 की उपधारा 2(ii) तथा 31(2) का उल्लंघन किया जो उक्त अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का विक्रय करके अधिनयम की धारा 51 व 58 का उल्लंघन किया जो जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(7) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तों को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 20.07.2021 को अधिवक्ता श्री नागपालसिंह ने अभियुक्तों की ओर से वकालतनामा पेश किया। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08.09.2021 को अधिवक्ता श्री नागपालसिंह ने अभियुक्तों की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है–

रमेश यादव जो कि फर्म श्री कृष्णा किसान दुध डेयरी मेवलिया बड़ मकराना जिला नागौर नाम से फर्म है जिस पर दिनांक 17.02.2019 को सेल्समैन के रूप में नानूराम जाट कार्यरत थे। मालिक ने उक्त फर्म का उदघाटन 17.02.2019 को ही किया था। मूहूर्त का दिन था इस वजह से उक्त दिनांक को ही फर्म का उदघाटन कराना अतिआवश्यक था। जिस कारण उक्त फर्म का पंजियन/रजिस्ट्रेशन उस समय खादय सुरक्षा अधिकारी को रजिस्ट्रेशन नम्बर नही दिखा सके। यह है कि रजिस्ट्रेशन का उसी दिन आवेदन कर दिया था। अप्रार्थीगण ने फर्म मे रखे हुए दुध में कोई मिलावट नही करी मौसम की वजह से डी फ्रीज में रखे दुध के नमूनों सेम्पल में गुणवता में कमी आई हो जिसमें अप्रार्थीगण दोषी नहीं है।

यह है कि अप्रार्थीगण भूलवंश व अनभिज्ञता के कारण उक्त कृत्य कारित हुआ है जिसमे अप्रार्थीगण ने जानबूझ उक्त कृत्य नही किया यह एक मात्र संयोग वंश हुआ है अप्रार्थीगण गरीब परिवार से है।

यह है कि फिर भी श्रीमानज उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को दोषी मानते है तो निवेदन है कि कम से कम जुर्माने से दण्डित कर पत्रावली फैसल शुमार फरमावें।

(8) प्रकरण में अभियुक्तगण के अधिवक्ता नागपालसिंह आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अभियुक्तगण अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है, तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भैस का दूध को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्तों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(9) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.02.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय 03:00

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

पी.एम.को फर्म–मैसर्स श्री कृष्णा किसान दूध डेयरी, मेवलिया बड़ मकराना जिला नागौर में स्थित संस्थान पर पहुचा, मैनें अपना परियच दिया व परिचय लिया तथा अपना परिचय पत्र दिखाया। इस समय संस्थान पर नानूराम जाट पुत्र देवाराम जाट निवासी–गरवाड़ी पो. शिम्भूपुरा तह. नावा जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते दूध, दही आदि रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक श्री रमेश यादव पुत्र श्री केसाराम यादव निवासी –मूण्डगसोई तह. नावा जिला नागौर को होना बताया। इस बाबत विक्रेता ने मालिक रमेश यादव के आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध करवाई। जिसकी प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने नही होना जाहिर किया। मौके पर विक्रेता ने बताया कि सालाना र्टन ऑवर 3–4 लाख का है।

(10) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 40 लीटर दूध डीप फ्रीज के अन्दर रखी एक स्टील की कोठी में आमजन को विक्रय वास्ते भरा हुआ था। विक्रेता से पूछने पर उक्त दूध को भैंस का दूध होना बताया। मुझे इसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने मालिक एवं विक्रेता को प्रपत्र–5 ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह भैंस का दूध का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में डीप फ्रीज के अन्दर रखी स्टील की कोठी में भरे हुए लगभग 400 लीटर भैंस के दूध को आधा लीटर के माप से अच्छी तरह से हिला मिलाकर एकरूपकर 2 लीटर भैंस का दूध नपवाकर एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू 80/–(अक्षरे अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है

(11)तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मिक्स दूध के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–.1099 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

(12) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–श्री कृष्णा किसान दूध डेयरी, मेवलिया बड़ मकराना जिला नागौर, विक्रेता नानूराम जाट पुत्र देवाराम जाट जाति जाट, निवासी–गांव गरवाड़ी पो. शिम्भूपुरा तह. नावा जिला नागौर से खाद्य पदार्थ भैंस का दूध को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है। तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किय। फार्म नं. 6 की एक प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर श्री धनराज तेजी, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 18.02.2019 को देकर रसीद प्राप्त की शेष नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 18.02.2019 को आवेदक ने स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ भैंस का दूध की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता रमेश यादव से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना Q–1099 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है, तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भैंस का दूध को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 के तहज जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक,जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या LS/143/Act/2019/197 दिनांक 15.03.2019 के अनुसार उक्त भैस का दूध नमूना **नं.– 1099 Substandard** होना पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ अमानक है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार हैः–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है या

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रमेश यादव

धारा 31:– खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरणः–

31(2):–उपधारा (1) की कोई बात ऐसे किसी छोटे विनिर्माता को जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करता है या विक्रय करता है या किसी छोटे फुटकर विक्रेता, हाकर, फेरी वाले या किसी अस्थायी स्टालधारक, या खाद्य कारबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या छोटे खाद्य कारबारकर्ता को लागू नही होगी, किंतु वे स्वयं को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पूर्ण खाद्य की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किए बिना ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसे रीति में रजिस्टर कराएंगे जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिट किया जाए।

धारा 51:–कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वंय या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 58:–जो कोइ इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2019/143–44 दिनांक 10.04.19 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–1099 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है, तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भैंस का दूध को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य है। इस प्रकार, अमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–श्री कृष्णा किसान दूध डेयरी, मेवलिया बड़ मकराना जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 के तहत प्रतिवादी रमेश यादव पुत्र केसाराम यादव, निवासी–गांव मुण्डगसोई तह. नावां जिला नागौर पर राशि रुपये 26000/–(अक्षरे रुपये छब्बीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(13) आदेश दिनांक 12.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना